

मध्य प्रदेश शासन  
आयुष विभाग  
मंत्रालय  
-आदेश-

भोपाल दिनांक 06/10/2018

क्रमांक/एफ 5-6/2010/1/59 : राज्य शासन एतद् द्वारा आयुष विभाग के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की शिष्यवृत्ति तथा गृह चिकित्सकों के वेतन में दिनांक 1-7-2018 से निम्नानुसार वृद्धि करता है:-

स. क्र.	मद	वर्तमान शिष्यवृत्ति/वेतन (रुपये प्रतिमाह)	वृद्धि उपरांत दिनांक 1/7/2018 से देय शिष्यवृत्ति/वेतन (रुपये प्रतिमाह)
1	स्नातक पाठ्यक्रम इंटर्नशिप	6000/-	7000/- (सात हजार मात्र)
2	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		
	प्रथम वर्ष	21000/-	40000/- (चालीस हजार मात्र)
	द्वितीय वर्ष	22000/-	42000/- (बयालीस हजार मात्र)
	तृतीय वर्ष	23000/-	44000/- (चवालीस हजार मात्र)
	गृह चिकित्सक	7520/+ प्रचलित मंहगाई भत्ता	30,000/- (तीस हजार मात्र) (समेकित वेतन)

2/ उपर्युक्त वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले व्यय के लिये बजट में प्रावधान कराया जाए।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के क्रमांक दिनांक द्वारा महालेखाकार, म. प्र. को पृष्ठांकित की गई है।

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग, मंत्रालय  
पृष्ठांकन क्र 137 /सी.आर. 811 /ब.क्र. 6  
/चार दिनांक 06/10/2018 द्वारा महालेखाकार,  
म.प्र. ग्वालियर की ओर एक अतिरिक्त प्रति अदिन अग्रेषित।  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(डॉ. एस. एस. कुमर)  
उप सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग  
भोपाल, दिनांक 06/10/2018

पृ. क्र./एफ 5-6/2010/1/59

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, म. प्र. शासन, भोपाल।
2. निज सचिव, मान. मंत्री जी, म. प्र. शासन आयुष विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ पृष्ठांकन हेतु।
4. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त, संचालनालय आयुष, म. प्र. भोपाल।
7. आयुक्त, ..... संभाग (अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय.....)
8. प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय, .....

(डॉ. एस. एस. कुमर)  
उप सचिव

म. प्र. शासन आयुष विभाग

